(370)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१३ पुनरीक्षण R/825 I/13

10.5.13

10.5.13

मुकेश पुत्र श्री किशन श्रीवास्तव,
निवासी ग्राम किसनौरी, हाल निवासी जौरा,
मई रोड, जिला मुरैना ---आवेदक

वनाम

१) श्रीमती हरप्यारी पत्नि वासदेवप्रसाद,
२)श्रीमती भूरीवाई पत्नि हरीशंकर,जाति ब्राह्मण,
निवासीगण ग्राम किसनौरी,परगना जौरा,
जिला मुरैना (म०प्र०)

३) ज्योतिप्रसाद पुत्र रामदयाल,
४) ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल,
५) सुरेशबाबू पुत्र रामदयाल,
निवासीगण ग्राम किसनौरी,हालनिवासी
गांधी पार्क के सामने, एम०एस० रोड, जौरा,
जिला मुरैना (म०प्र०)
६) दिनेशकुमार पुत्र रामजीलाल,
७) अजयकुमार पुत्र राजाराम,
८) वीरेन्द्रकुमार पुत्र राजाराम, जाति कायस्थ,
निवासीगण ग्राम अलापुर, तहसील जौरा,
जिला मुरैना
९) श्रीमती आशारानी पत्नि दाताराम,जाति कायस्थ
निवासी मई रोड, जौरा, जिला मुरैना
-----अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांकी १३-३-१३ पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक ५६/११-१२ अ०नवाम श्रीमती हरप्यारी वनाम मुकेश।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1825-एक/13 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	